कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/भूमि अधिग्रहण कलेक्टर
जनपद मध्य उत्तर, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर, रामपुरा, दिल्ली-35

फा सं: अवार्ड सं. 40 एवं 50/80-81/ हैदरपुर शालीमार बाग / 91-92 **दिनांक:** 22/01/26

सार्वजनिक सूचना पत्रक

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम हैदरपुर, शालीमार बाग, दिल्ली स्थित खसरा संख्या 12 मिन तथा खसरा संख्या 13 मिन की भूमि को सरकार द्वारा अवार्ड संख्या 40/80-81 तथा अवार्ड संख्या 50/80-81 के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था।

दिनांक 10.01.2026 को संयुक्त सर्वेक्षण/ निशानदेही की गई, जिसमें यह पाया गया कि 143 अनधिकृत कब्जाधारकों द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जा रहा है । यह भूमि रोड संख्या 320, ग्राम हैदरपुर, शालीमार बाग, दिल्ली के राइट ऑफ वे (ROW) के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई मात्र 19.50 मीटर है तथा 10.50 मीटर सड़क चौड़ाई पर अनधिकृत संरचनाएं/अतिक्रमण पाया गया है, जो कि खसरा संख्या 12 मिन (2-17) एवं खसरा संख्या 13 मिन (5-01) में आता है।

अतः उपरोक्तानुसार अधिग्रहित भूमि पर स्थित रोड संख्या 320, ग्राम हैदरपुर, शालीमार बाग, दिल्ली पर बनी अनधिकृत संरचनाओं में निवास/व्यवसाय कर रहे सभी अनधिकृत कब्जाधारकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना पत्रक के निर्गमन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों तो दर्ज करायें /प्रस्तुत करें अन्यथा जनहित में सड़क चौड़ीकरण हेतु उक्त अधिग्रहित भूमि का कब्जा क्यों न लिया जाए।

सभी से अनुरोध है कि लिखित उत्तर, आवश्यक भूमि दस्तावेजीप्रमाण के साथ कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (सेंट्रल नॉर्थ), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सेंट्रल नॉर्थ जिला, रामपुरा, दिल्ली-35 में जमा करायें अथवा ई-मेल के माध्यम से: lac.centralnorth@gmail.com, अथवा विशेष शिविर में, जो कि दिनांक 28.01.2026 एवं 29.01.2026 को साहिब सिंह वर्मा सामुदायिक भवन, शालीमार बाग, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई उत्तर/आपत्ति अथवा पर्याप्त कारण/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि अधिग्रहित भूमि पर किसी भी अनधिकृत कब्जाधारक का कोई वैध अधिकार/दावा नहीं है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया जाएगा।

R Ranjan
22/01/26

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सेंट्रल नॉर्थ जिला

Additional District Magistrate
Central North Delhi

फा सं: अवार्ड सं. 40 एवं 50/80-81/ हैदरपुर शालीमार बाग /91-92 **दिनांक:** 22/01/26

प्रेषित,

1. एसडीएम/तहसीलदार (शालीमार बाग), दिल्ली तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार (एलएसी) को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त सूचना को डीएम/एडीएम/एसडीएम/तहसीलदार कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर तथा ग्राम हैदरपुर, शालीमार बाग, दिल्ली में प्रमुख/दृश्यमान सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करें तथा उपरोक्त उद्देश्य हेतु दिनांक 28.01.2026 एवं 29.01.2026 को विशेष शिविर का आयोजन सुनिश्चित करें। साथ ही, एसडीएम/तहसीलदार (शालीमार बाग), दिल्ली द्वारा प्रिंट मीडिया/समाचार पत्रों (हिंदी/अंग्रेज़ी) के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

2. डी आई ओ/एन आई सी (सेंट्रल नॉर्थ) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को राजस्व विभाग,दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

RRanjan 22/1/26

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सेंट्रल नॉर्थ जिला

Additional District Magistrate * Central North Delhi *